राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर,
अटल नगर, पिन–492002 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

विज्ञापन क्रमांक/NHM/HR/2024/1053/2876 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/12/2024

–:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत **ग्रामीण चिकित्सा सहायक (RMA)** के रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से दिनांक 13/12/2024 से 02/01/2025 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

भाग –'अ'

01. रिक्त पदों का विवरण –

स.कं.	पदनाम	मुक्त					मुक्त पदों में से महिला हेतु आरक्षित					मुक्त पदों में से द्विव्यांगजन हेतु आरक्षित
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	कुल पद	अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	कुल पद	
1	ग्रामीण चिकित्सा सहायक (RMA)	66	50	19	22	157	19	15	5	6	45	12

02. विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व संविदा वेतनमान –

स.कं.	पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	एकमुश्त मासिक मानदेय (रुपये)
1	ग्रामीण चिकित्सा सहायक (RMA)	**Practitioner In Modern And Holistic Medicine (PMHM)** पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है।	22,000/-

भाग–ब

आवेदन–पत्र के संबंध में दिशा–निर्देश

01. आवेदन पत्र के संबंध में :–

1.1 दिनांक 13/12/2024 से 02/01/2025 सायं 05:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। **अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरे गये प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के माध्यम से दिनांक 09.12.2024 को सायं 05:00 बजे कार्यालय मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छ.ग.), तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन– 492002 (छत्तीसगढ) में कार्यालयीन समय पर प्रेषित करेंगें।**

1.2 **अभ्यर्थी को बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा।**

1.3 **अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन भरने उपरांत Final Save of Application करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थी स्वयं का हस्ताक्षर करेंगे।**

1.4 **हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन कर PDF अपलोड कर Final Submit पर Click करेंगे।**

1.5 **ततउपरांत Final Submit करने के पश्चात् हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ पद से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति स्वप्रमाणित संलग्न कर कार्यालय मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छ.ग.), तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन– 492002 (छत्तीसगढ) में कार्यालयीन समय पर प्रेषित करेंगें। जिसके पश्चात् ही आवेदनों को मान्य किया जायेगा।**

1.6 विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन हेतु अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकर नहीं किये जायेंगे। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र ऑफलाईन आवेदन में संलग्न करना सुनिश्चित करें अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

02. आवेदन शुल्क :–

2.1 परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन के सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किये जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 10–2/2022/एक (1) दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2.2 अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क –

संवर्ग	**शुल्क का विवरण**	
	25000/– प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पदों हेतु	**25000/–प्रतिमाह एवं अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु**
विकलांग/महिला	100	200
अनारक्षित वर्ग	300	400

2.3 अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही देय होगा। देय शुल्क का Reference Number का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण (Incomplete)/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी, ऐसे आवेदन पत्र को स्वतः ही निरस्त माने जायेंगें।

2.4 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

2.5 आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते है। किन्तु पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क आवेदित पदों में उच्चतम वेतन के अनुरूप एक बार ही देय होगा तथा उक्त शुल्क के भुगतान का Reference Number समस्त आवेदनों में अंकित कर Final Save करना अनिवार्य होगा।

2.6 अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन पोर्टल में दिये गये Fee Payment link में Click करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान करने के पश्चात् किये गये भुगतान का विवरण Applicaion Fee Section में भरकर Final Save of Application पर Click करें। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित विस्तृत विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।

03. आयु सीमा :–

3.1 संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी।

3.2 आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जायेगी।

04. भर्ती प्रक्रिया :–

4.1 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रुटनी उपरांत दावा–आपत्ति हेतु पात्र–अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जायेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

4.2 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है केवल उन्ही दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य किया जायेगा। अन्य कोई नवीन दस्तावेज दावा आपत्ति में मान्य नहीं किये जायेंगें।

4.3 दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर **निर्धारित प्रारूप में कार्यालय मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छ.ग.), तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन– 492002 (छत्तीसगढ) में कार्यालयीन समय 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक जमा करेंगें।**

4.4 संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे। किसी भी प्रकार के आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के द्वारा दावा करने पर उनके वर्ग पद में नियमानुसार प्राथमिकता दिया जायेगा।

4.5 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा साथ ही उन्हें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के समान अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।

4.6 उक्त भर्ती प्रकिया में आवेदकों की योग्यता के आधार पर पात्र/अपात्र करने का अधिकार मिशन संचालक एवं राज्य स्तरीय चयन समिति का होगा।

5. लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची :–

5.1 प्राप्त आवेदनो में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जायेगा :–

क्र.	कुल विज्ञापित पदो की संख्या	स्क्रीनिंग/लिखित/कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 3 गुना

5.2 लिखित परीक्षा हेतु अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक के जोड़ के आधार पर तैयार की जायेगी।

5.3 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का–65 प्रतिशत।

5.4 अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों से संबंधित को ही मान्य किया जायेगा। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)

5.5 अनुभव प्रमाण–पत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।

5.6 मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जायेगा। इस हेतु अनुभव आवेदित पद से संबंधित एवं नियोक्ताकर्ता से हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

5.7 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का ओवरराइटिंग/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जायेगा।

5.8 **विज्ञापन में निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किये गये कार्य अवधि के अनुभव की गणना की जायेगी।**

5.9 लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-

- 10वीं अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- Practitioner In Modern And Holistic Medicine (PMHM)-शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- संबंधित शैक्षणिक योग्यता की डिग्री।
- छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो)
- अनुभव प्रमाण-पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

6. अंतिम चयन सूची :-

6.1 अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक एवं लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के जोड़ के आधार पर तैयार की जायेगी।

6.2 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो/सेमेस्टर के प्राप्तांको के प्रतिशत का-65 प्रतिशत।

6.3 अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जायेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)

6.4 अनुभव प्रमाणपत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगें।

6.5 मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु उन्हे अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

6.6 कौशल परीक्षा–20 अंक (पद के अनुरूप लिखित / कम्प्यूटर बेस्ड / साक्षात्कार / अन्य के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जायेगी)

6.7 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीद्वारो को अपात्र माना जायेगा।

6.8 जहां पर शैक्षणिक योग्यता प्राथमिकता क्रम में दर्शित हो वहाँ पर अंतिम चयन हेतु प्रावीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में दर्शित प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही रहेगी।

6.9 प्रावीण्य सूची में छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आरक्षण, शुल्क छुट एवं प्रावीण्य सूची में प्राथमिकता का लाभ नहीं दिया जायेगा।

6.10 **प्रतीक्षा सूची :–**

उक्त पद के लिये वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा उक्त पद के लिये नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद / त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदो को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। **प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदो हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदो हेतु 100 प्रतिशत अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची मे रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।**

7. भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :–

7.1 **"उक्त भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी"।**

7.2 पदों की संख्या पदों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनशील है।

7.3 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र / प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनो पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में अभ्यर्थी को नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7.4 विज्ञापन अनुसार समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नियमित पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

7.5 शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी, ए.आई.सी.टी.ई एवं संबधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

7.6 संविदा मानदेय :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगी।

7.7 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जायेगी।

7.8 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

7.9 संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

7.10 यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है, संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्ते एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं यथा संशोधित नियम अनुसार लागू होंगे।

7.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीप :–स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)

7.12 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

7.13 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

7.14 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

7.15 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

7.16 भर्ती प्रक्रिया पर होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

7.17 राज्य एवं जिला स्तर हेतु चयनित होने वाले सलाहकार को आवश्यकतानुसार नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अन्य कार्यक्रम के सलाहकार के रूप में भी कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

8. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

8.1 परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी व लिखित/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी समय–समय पर केवल विभागीय वेबसाइट

8.2 www.cghealth.nic.in में उपलब्ध करायी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

8.3 आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर में ली जायेगी, जिसमें सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़